संख्या:78/2020/1846 ई-2/तेरह-2020-216/1990

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2020

विषय: अल्कोहल वर्ष 2019-20 में मेसर्स रेडिको खेतान लि., रामपुर से देश के बाहर 20,000 (बीस हजार) हाई बुके स्प्रिट (तीव्रता 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत वी/वी) निर्यात किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-114/नौ-अल्कोहल/देश के बाहर निर्यात(4)/भा.नि.वि.म., दिनांक 01.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अल्कोहल वर्ष 2019-20 में अल्कोहल वर्ष 2019-20 में मेसर्स रेडिको खेतान लि., रामपुर से देश के बाहर 20,000 (बीस हजार) हाई बुके स्प्रिट (तीव्रता 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत वी/वी) निर्यात किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति के दृष्टिगत अल्कोहल वर्ष 2019-20 में मेसर्स रेडिको खेतान लि., रामपुर से 20,000 (बीस हजार) बल्क लीटर हाई बुके स्प्रिट **(**तीव्रता 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत वी/वी) देश के बाहर निर्यात किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में शीरा/अल्कोहल की कमी होने पर देश के बाहर रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल/ई.एन.ए. के निर्यात पर रोक लगाये जाने पर इकाई को कोई आपत्ति नहीं होगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in